

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जिल्ला उपखण्ड अधिकाारी मुकाम जोषागाट
 न्यायालय क्वटर बनाम रत्नसिंह
 क्रमा ४४,५३,१८८ RTA सन् २०२१/३

ख न हुकम या कार्यवाही मय इन्डि:पल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए

२। वादीगण की ओर से श्री परमराज चौधरी अधिवक्ता ने वाद संलग्न घाटा ४४,५३,१८८ RTA का पेश किया जो वर्ण रजिस्ट्रार किया जाकर एवं प्रतिवादीगण के समक्ष जारी होकर पत्रावली दि. २७/०१/२०२१ को पेश हो

२७/०१/२०२१ पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण के समक्ष जारी होकर पत्रावली दि. ०५/०२/२०२१ को पेश हो

०५/०२/२०२१ वादी की ओर से वादी अधिवक्ता द्वारा आर्थनियस बख्तर पत्रावली तत्पश्चात् पेश किया गया जो वाद सुनवाई स्वीकार किया गया एवं पत्रावली आदि फिनांस ०५/०२/२०२१ को पेश करके का आदेश दिया गया, तत्पश्चात् पत्रावली माप पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी श. २ प्रोसेसिंग उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तथा वाद पेश करके के आदिमान के सुदक्षित रखते हुए वादी का वाद जारी रखी स्वीकृत करमाया जावे। अतः वादी का वाद

डा. ए. मनेर
 अधिवक्ता
 नाम वा. ५५ पेश करने के अतिरिक्त को सु. ५५/२०२१/५६ वि. ५५/२०२१/५६ पत्रावली-१
 दि. ०५/०२/२०२१

confin



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अंतर्गत धारा 88, 52, 188 RT Act का बाकी का
मया काद पैसा करके के अधिकार को सुरक्षित
रखने के लिये विद्वाने खारिज किया जाता है।

पत्रावली के माध्यम से न्याय के क्रम
को बरकरार रखा है।

सहायक कलेक्टर
एकुमुन प्रशासिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

सहायक कलेक्टर
भोपालगढ़ (जोधपुर)
दि. 12/03/2020

सहायक कलेक्टर
भोपालगढ़ (जोधपुर)
दि. 12/03/2020